

**बिहार सरकार**  
**मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग**

अधिसूचना

सं0सं0-10/ई0-नियमावली-34/2023...3213/ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (निबंधन एवं अन्य संबंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) की धारा- 69 की उप धारा (1) खण्ड (क) एवं (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

1. यह नियमावली बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 कहलाएगी।
2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम-6 के उप नियम-1 में पक्षकारों के बाद **“को स्वतंत्रा होगी कि वे”** को विलोपित किया जाता है तथा रोयाल एक्जिक्यूटिव बॉण्ड कागज पर के बाद **“विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्रारूप की टंकित प्रति में तैयार करेंगे”** को जोड़ा जाता है तथा उसके बाद का शब्द **“करावे”** को विलोपित किया जाता है।

3. उप नियम (2) में दस्तावेज लिखे जाने का उपबंध किया गया है के बाद **“लाइसेंस प्राप्त दस्तावेज लेखकों के अतिरिक्त अधिवक्ता वकील एवं मुख्तार के द्वारा दस्तावेज विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्रारूप की टंकित प्रति में तैयार करेंगे”** जोड़ा जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के0के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-10/ई0-नियमावली-34/2023...3213/, पटना, दिनांक-...15.05.23

प्रतिलिपि:-

उपर्युक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(के0के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-10/ई0-नियमावली-34/2023.3213/, पटना, दिनांक-15.05.23

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(के0 के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-10/ई0-नियमावली-34/2023.3213/, पटना, दिनांक-15.05.23

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0 के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-10/ई0-नियमावली-34/2023.3213/, पटना, दिनांक-15.05.23

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/सभी प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0 के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-10/ई0-नियमावली-34/2023.3213/, पटना, दिनांक-15.05.23

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, के आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के निजी सहायक/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव



**Government of Bihar**  
**Prohibition, Excise and Registration Department**

**Notification**

File No:- 10 / ई०-नियमावली-34 / 2023.3213 / In exercise of the Power conferred by clause (a) and (aa) of sub-section (1) of section- 69 of the Registration Act, 1908 (as amended by the Registration and other related laws (Amendment) Act, 2001 the Inspector General of Registration with the approval of the Government of Bihar makes following Rules: -

**Bihar Registration (Amendment) Rule, 2023**

**1. Short title, extent and commencement: -**

1. These rules may be called the Bihar Registration (Amendment) Rules, 2023.
2. It shall extend to the whole of the state of Bihar.
3. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

**2. In sub rule (1) of rule 6 of the Bihar Registration Rules, 2008, after parties "shall be at liberty to" is deleted and after the Royale Executive Bond on paper, "will prepare documents in the computer typed copy of the model format approved by the department" is added and after that the word" the get" is deleted.**

**3. In sub rule (2) after this purpose "In addition to the licensed document writers, the documents shall be prepared by advocates pleaders and mukhtars in typed copy of the model format approved by the department" is added.**

by order of the Governor of Bihar

Sd/-

(K.K Pathak)

Additional Chief Secretary to Government

ज्ञापांक-10/ई0-नियमावली-34/2023...../, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

ह0/-

(के0 के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-10/ई0-नियमावली-34/2023...../, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(के0 के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-10/ई0-नियमावली-34/2023...../, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/सभी प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(के0 के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-10/ई0-नियमावली-34/2023.....3213./, पटना, दिनांक-...15.05.23

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, के आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के निजी सहायक/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0के0 पाठक)

सरकार के अपर मुख्य सचिव